विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
18(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर के राजस्व ग्राम अलगटपुर, भक्सा, माफी, विसरी, रामडीह, तोरनी, बनैता तहसील सहजनवॉ में चकबन्दी की कार्यवाही 50 वर्ष पूर्व हुई थी, लम्बे समय से चकबन्दी न होने के कारण जनसुविधाओं का अभाव हो गया है, चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुआ है ?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो जनहित में उपरोक्त राजस्व ग्रामों में चकबन्दी का कार्य कब तक करायेंगे ?	जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर के पत्र संख्या-2097/पी0के0-2023 दिनांक 17.11.2023 एवं पत्र संख्या-2109/पी0के0 दिनांक 18.11.2023 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा चकबन्दी आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.09.2023 के क्रम में जनपद गोरखपुर के राजस्व ग्राम भक्सा माफी, रामडीह तोरनी, बन्हैता, तहसील-सहजनवॉ में चकबन्दी प्रक्रियाये प्रारम्भ करने हेतु चकबन्दी आयुक्त के पत्र दिनांक 21.11.2023 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण कर उपरोक्त ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया है कि ग्राम-अलगटपुर एवं विसरी, तहसील सहजनवॉ, जिला-गोरखपुर में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना, नगर विकास अनुभाग-1 संख्या-2055/9-1-2022-74, टी0ए0 /20 लखनऊ, दिनांक 20.07.2022 द्वारा नवसृजित नगर निकाय घघसरा बाजार नगर पंचायत में पूर्णतः सम्मिलित कर लिये गये हैं। नगर विकास योजनाओं के अन्तर्गत होने के कारण उ0प्र0 जोत चकबन्दी मैनुअल के पैरा 13 (परिपत्र सं0-सी-61/जी0-443/80 दिनांक 17.09.1980) के अनुसार ग्राम अलगटपुर एवं विसरी में चकबन्दी प्रक्रिया की कार्यवाही संभव नहीं है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।

Scanned with CamScanner